

22-7-19

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित हैं  
वादी एवं वकील वादी की आज्ञा पिल्लर  
परन्तु कोई हाजिर नहीं आया। अतः  
वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम  
धरती में खारिज किया जाता है। पत्रवाली  
फैसल सुमार होकर दारिखत हफ्ते हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
लुणा